

5/5

446

संख्या-560 / 111(2) / 19-45(एम0एल0ए0) / 2017

उत्तराखण्ड टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

5/5/17
6-1-19-11(20)
C801
12/4/19
5/5/17

श्री यश्वन्त
05/07/19

मुख्य अभियन्ता, Photograph Attached
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

सहायक अभियन्ता

देहरादून : दिनांक 4 फरवरी, 2019

निर्माण अनुमाग-2 जो 0 ख 0 लो 0 नि 0 वि 0

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-नगोलीहाट के अन्तर्गत विभिन्न 09 निर्माण कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 69.2 किलोमीटर एवं लागत ₹ 667.71 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 1.11 लाख (एक लाख एक हजार चत्तर सौ रुपये मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 09 कार्यों हेतु ₹ 0.90 लाख (नब्बे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर प्रेषित की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 के अन्तर्धानसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित किया जाये जो दरें सैंड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर विभाग द्वारा अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका उपयोग विस्तृत आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।

(4) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(5) आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(6) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में राज्य सरकार पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट एवं वित्त विभाग के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(7) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्तानुसार स्वीकृत आगमन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के अन्तर्गत में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत व्यय-24 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि

8/5/17

20-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी किया जायेगा।

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी का होगा।

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जाये। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति संश्लेष समझी जायेगी।

विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.00 करोड़ का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या-2220025 दिनांक 01 फरवरी, 2019 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD दिया गया है।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लोक निर्माण के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा सड़कों-037-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य-04-800-03-02 से स्थानान्तरित)के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के असासकीय संख्या-713/XXVII(2)/2018 दिनांक 01 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

महोदय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या- / 111(2)/19-45(एम0एल0ए0)/2017 तदुद्दिनांकित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला लेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोंटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांच मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता(पि0डी0), लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पिथौरागढ़।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. जिला अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
10. जिला अभियन्ता, अस्थाई प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग।
11. गार्ड फ़ाइल।

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
ज0 ख0 लो0 नि0 वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अबमुक्त की जा रही घनराशि।
पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत गंगोलीहाट, बेरीनाग विनायक पानी मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम घांघली, बनेला एवं पटौली गांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00	32.20	0.10
पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र- गंगोलीहाट के अन्तर्गत गंगोलीहाट से चकाधार धरमोली घांघली से सुकना तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	32.00	0.10
पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में बरडबेण्ड -बरडगां-गर्जिया-बिड़खेत-गंगोलीहाट-गोरखटियालिमड-डांगीगांव-रुईनाथल-गंगोलीहाट-पीपलतड-गुरना-बरला-रमतड-मायल -पिल्खी-गंगोलीहाट-अगडियागाड़ा-जालडीएकलवागाड़ा-रावलखेत-गंगोलीहाट के बची रामगंगा के समानान्तरण मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	30.00	220.80	0.10
पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत गंगोलीहाट मोटर मार्ग के अन्तर्गत सुरिया गांव जिखेडी घासदेव ओलियागांव मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00	36.80	0.10
पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में सिनलेख सुरखाल, चहज, बुंगली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	42.16	0.10
पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत बेरीनाग विनायक पुरानाथल मोटर मार्ग के कि०मी० 9 से बगौरा से चौपाता होते हुए बलगडी बनेला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	18.85	0.10
पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में मदनपुर से काकड़ा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	13.80	0.10
पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में ग्राम हनेरा टोक से घारा पानी चामुण्डा रोड मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.20	239.80	0.10
पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में बगौरा से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय मोटर मार्ग के लिए मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	23.00	0.10
कुल :-	69.20	659.41	0.90

(कुल ₹ नब्बे हजार मात्र)

Photo copy attested

(जीवन सिंह)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
ज० ख० ल० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)